न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)
राजस्व प्रांर्थना संख्या 37 / 2018

1. श्री बालूराम पुत्र स्व.श्री रामनाथ जाति– ब्राहाम्ण उम्र बालिग निवासी जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर

———————प्रार्थी

ब ना म

1. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री मिश्रीलाल माली उम्र बालिग
2. सीता देवी पत्नि श्री नारायण जी तेली उम्र बालिग
3. राधा देवी पत्नि श्री रामलाल जी शर्मा उम्र बालिग

   समस्त निवासीयान जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बिजयनगर

———अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 भू– राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांकः 07.01.2021

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा ग्राम जालिया द्वितीय पटवार क्षेत्र जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा संख्या 3009 रकबा 5–14–10 भूमि प्रार्थी की खातेदारी में चली आती है जिस पर बिना किसी रोक टोक व बिना बाधा के लगातार काबिज चला आता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की भूमियां लगते हुए है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थी की उक्त आराजीयाज की सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है, जिस हेतु वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। उक्त भूमि पर तहसीलदार महोदय बिजयनगर द्वारा सीमाज्ञान भी किया जा चुका है किन्तु सीमाकंन पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका होने के कारण प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार महोदय को आदेशित किया जावे कि प्रार्थी की खातेदारी आराजियात का मौके पर पत्थरगढ़ी करावें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जरिए नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई ।

प्रार्थना पत्र पर बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.03.24 16:23:18 IST
Reason: SelfAttested

बाद अवलोकन पाया कि ग्राम जालिया द्वितीय पटवार क्षेत्र जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर की जमाबन्दी संवत् 2068–2071 के खसरा संख्या 3009 रकबा 5–14–10 भूमि प्रार्थी की खातेदारी में चली आती है।

...........लगातार

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी

चूंकि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी की खातेदारी की भूमियां है जिसमें वे जरिए नाप–चौप पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अधिकारी पाए जाते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बिजयनगर को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क प्राप्त कर प्रार्थी पक्षकारान एंव विवादित खसरान के आस पास के खातेदारान को सूचित कर एंव संबंधित हल्का पटवारी के साथ अन्य दो पास के हल्के के पटवारीयान/भूअभिलेख निरीक्षक की टीम मौजा जालिया द्वितीय पटवार क्षेत्र जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर की जमाबन्दी संवत् 2068–2071 के खसरा संख्या 3009 रकबा 5–14–10 भूमि का मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 07.01.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

उपखण्ड अधि० एवं सहायक कलेक्टर मसूदा (अज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.03.24 16:23:18 IST
Reason: SelfAttested